मै0 सिराला सोप स्टोन माईन, ग्राम–सिराला रैखोला और वड्यूड़ा, तहसील दुगनाकुरी, जनपद बागेश्वर, उत्तराखण्ड के पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनॉक 23.10.2021 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 सिराला सोप स्टोन माईन, ग्राम–सिराला रैखोला और वड्यूड़ा, तहसील–दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर, सोप स्टोन माईनिंग प्रोडक्ट द्वारा 5.80 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 22,464 टन खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 यथासंसोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरण प्रस्ताव के रूप में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान तथा हिन्दुस्तान टाइम्स दिनांकः 23.09.2021 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी उपरोक्त के अनुक्रम क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रति जनसामन्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बागेश्वर, तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी, तदक्रम में दिनॉक–23.10.2021 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गयी। लोक सुनवाई अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनॉक–23.10.2021 को प्रातः 11:00 बजे ग्राम–सिराला, रैखोला और वड्यूड़ा में आयोजित की गयी, लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, हल्द्वानी के क्षेत्रीय अधिकारी डा0 आर0के0 चतुर्वेदी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थिति सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर श्री चन्द्र सिंह इमलाल तथा अन्य उपस्थिति अधिकारीगणों का स्वागत किया, तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, तदक्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मै0 एन्टिएंटल ग्लोवल प्रा0लि0 के श्री आकाश गुप्ता द्वारा प्रस्तावित सोप स्टोन माईनिंग परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराया कि परियोजना से स्थानीय रोजगार सृजन तथा सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, प्रस्तावित खनन परियोजना में सम्भावित पर्यावरणीय पहलुओं का मूल्यांकन किया गया है। खनन परियोजना से पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजनाओं के अनुसार कार्य किये जायेंगे तथा सी0एस0आर0 के अन्तर्गत व्यय किये जाने वाली राशि को प्रभावित क्षेत्र के विकास हेतु व्यय किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सोप स्टोन खनन परियोजना के सम्बन्ध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियों एवं टीका–टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। तदोपरान्त निम्न व्यक्तियों द्वारा अपने सुझाव व विचार प्रस्तुत किये गये जिसका विवरण निम्नांनुसार हैः–

1– श्री धन सिंह भौर्याल ग्राम–कुरौली पो0–सनेती, तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर– श्री भौर्याल द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुए कहा गया कि क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से ही वैज्ञानिक विधि से खनन कार्य किया जाता है तथा जिसकी निगरानी जिला प्रशासन द्वारा की जाती है।

क्रमशः–2

जिसके फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य आपदा से ग्रसित होने के उपरान्त भी हमारा क्षेत्र आपदा से सुरक्षित रहा, इसका श्रेय शासन के सभी अधिकारियों एवं विभागों को जाता है तथा खनन परियोजना प्रारम्भ होने से क्षेत्रीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। परियोजना से सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी तथा क्षेत्र में विकास के कार्य होंगे। अन्त में सभी का धन्यवाद प्रेषित किया गया।

2– श्री पूरन सिंह गड़िया जिला पंचायत सदस्य ग्राम सिरालागांव तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर– श्री गड़िया द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थिति सभी लोगों का स्वागत किया गया करते हुए अवगत कराया गया कि खनन परियोजना 5.80 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ग्राम सिराला, रैखोला एवं वड़यूड़ा में प्रस्तावित है, पूर्व से ही क्षेत्रान्तर्गत खनन परियोजनाऐं संचालित हैं जिससे सरकार के राजस्व में वृद्धि हो रही है तथा क्षेत्रीय जनता को उसका लाभ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है, तथा खनन व्यवसायियों द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जनहित के कार्य तथा क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन हेतु पूर्ण भागीदारी की जाती है। खनन परियोजना के प्रारम्भ होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। हम परियोजना का समर्थन करते हैं।

3– श्री धन सिंह बाफिला पूर्व ग्राम प्रधान बाफिलागांव, तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर– श्री बाफिला द्वारा कहा गया कि इस क्षेत्र में पहले भी खनन परियोजनायें संचालित थी, क्षेत्र के विकास हेतु खनन व्यावसायियों द्वारा सहयोग किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है तथा खनन परियोजना के प्रस्तावक से अपेक्षा की गयी है कि क्षेत्र के विकास एवं स्थानीय रोजगार हेतु कार्य करेंगे। प्रस्तावित खनन परियोजना के आबादी क्षेत्र से दूर होने से गांव को कोई खतरा नहीं है। खनन कार्य से कोई आपत्ति नहीं है।

4– श्री जगदीश सिंह बाफिला ग्राम प्रधान बाफिलागांव तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर– श्री बाफिला द्वारा कहा गया कि हमारे क्षेत्र में खनन परियोजना का कार्य प्रस्तावित है, जिससे स्थानीय लोगों को उम्मीद रहती है कि परियोजना से क्षेत्र का विकास एवं रोजगार सृजन का कार्य होगा। खनन परियोजना के प्रारम्भ होने से नुकसान के साथ लाभ भी होते हैं, तथा कुछ खनन व्यवसायिओं द्वारा अवैध खनन कार्य किया जा रहा है जिससे गांव को काफी नुकसान हो रहा है। हमारे द्वारा पट्टाधारक को अवगत भी कराया गया है कि खनन कार्य के साथ–साथ गांव में विकास कार्य भी होने चाहिए। पट्टाधारकों द्वारा ग्राम पंचायत में कोई भी राशि गांव के विकास के लिए नहीं दी जाती है क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड से पूछा गया कि खनन कार्य हेतु कितनी मशीनों के संचालन की स्वीकृति दी जाती है? मशीनों से खनन कार्य किये जाने से गांव के पैदल रास्ते, नाले पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। जिस संबंध में अपर जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया गया कि अवैध खनन कार्य करने वाले पट्टाधारकों के विरूद्व कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, पट्टाधारकों द्वारा रोजगार सृजन का कार्य भी नहीं किया जा रहा है तथा आशा व्यक्त की गयी कि खनन कार्य सभी के सहयोग से किया जाना चाहिए। हमें खनन परियोजना के संचालन से कोई आपत्ति नहीं है। तदकम में अध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि अवैध खनन कर्ताओं के विरूद्व प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गयी है। इसी कम में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि कोई भी खनन कार्य करने से पहले खनन योजना स्वीकृति करानी पड़ती है,

कमशः–3

तथा पट्टाधारक को खनन योजना के अनुरूप ही कार्य करना होता है। जिसकी निगरानी जनपद स्तर पर खनन विभाग द्वारा की जाती है यदि प्रदूषण के सम्बन्ध में कोई लिखित शिकायत प्राप्त होती है तो बोर्ड भी नियमानुसार संबधित के विरूद्ध कार्यवाही करेगा।

5– श्री योगेश हरड़िया ग्राम सिराला तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर– श्री हरड़िया द्वारा सभी लोगों का स्वागत करते हुए कहा गया कि हम सब सौभाग्शाली हैं कि रत्नगर्भा घाटी माता ने हमारे क्षेत्र को सोप स्टोन के रूप में खनिज संम्पदा से परिपूर्ण किया है, सभी ग्राम वासियों और पट्टा धारकों के सहयोग से खनन कार्य किया जाना चाहिए तथा खनन कार्य से क्षेत्र में जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई पट्टाधारकों द्वारा यथासमय की जानी चाहिए। क्षेत्र के विकास हेतु जिला खनन न्यास में भी एक तय राशि जमा की जाती है खनन कार्य वैज्ञानिक रूप से किया जाना चाहिए तथा खनन कार्य समाप्त होने पर खेतों का समतलीकरण करके भू–स्वामियों को सौंप दिया जाना चाहिए, एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु चौडी पत्ती वाले वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। हमें परियोजना के स्थापित होने में कोई आपत्ति नहीं है।

6– महेश सिंह भौर्याल (परियोजना प्रस्तावक)– श्री भौर्याल द्वारा सभी का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि खनन कार्य वैज्ञानिक विधि से ही किया जायेगा तथा लोक सुनवाई में उपस्थित जनसमुदाय को आश्वस्त किया कि क्षेत्र के विकास हेतु जितना सहयोग प्रस्तावक से होगा वह हमेशा ही तत्पर रहेंगे। खनन कार्य से गांव में किसी को परेशानी नहीं होगी सभी ग्रामीणों से मिल जुलकर सहयोग की भावना से परियोजना का कार्य किया जायेगा।

तत्पश्चात् अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा लोक सुनवाई के सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्मन्न होने की सभी को बधाई दी गयी तथा अवगत कराया गया कि परियोजना से ग्रामीणों को लाभ प्राप्त होगा। क्षेत्रान्तर्गत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। जनपद बागेश्वर का रीमा क्षेत्र खनन उद्योग के लिए उपयुक्त है। प्रस्तावक काश्तकारों को साथ लेकर खनन उद्योग संचालित करें। पट्टाधारकों द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन में खनन की जो 25 प्रतिशत धनराशि जमा की जाती है वह क्षेत्र के विकास के लिए ही है जिसे प्राथमिकता के आधार पर व्यय किया जाता है। कहीं न कहीं खनन के नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं परन्तु प्रस्तुतीकरण में किये गये प्राविधानों के पूर्ण रूप से लागू होने एवं वैज्ञानिक ढंग से खनन करने पर उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। माईनिंग प्लान के विरूद्ध जो खनन कार्य होता है उस पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक सुनवाई में आये सभी आगुन्तकों का स्वागत किया गया, तथा पुनः लोगों से सुझाव मौखिक/लिखित में देने को कहा गया तथा अन्य टीका टिप्पणी व सुझाव प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक को शुभकामनाएं एवं उपस्थित जनसमुदाय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है, तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति दर्ज पंजिका की गयी।

(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।
(जनपद नैनीताल)।

(चन्द्र सिंह इमलाल),
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।